tional chromite mines by Government undertakings.

**मध्य प्रदेश के इन्दौर डिवीजन में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना**

332. **डा० लक्ष्मीनारायण पाँडेय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के इन्दौर डिवीजन में किन-किन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) उक्त स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफ़ोन लगाने के लिये जनता की माग कब से विचाराधीन है, और

(ग) उनकी स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :** (क) इन्दौर डिवीजन में 28 सार्वजनिक टेलीफोन घरों की पहले से ही मजूरी दे दी गई और ये वहां लगाये जाने वाले हैं। इनके अलावा तीन और स्थानों, अर्थात् बाग्रोड, हरसोला व इगोरिस में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). बाग्रोड में सार्वजनिक टेलीफ़ोन घर खोलने की माग अक्तूबर, 1975 में प्राप्त हुई थी और शेष दो स्थानों के लिए पी०सी०ओ० की माग दिसम्बर, 1975 में प्राप्त हुई थी। इन प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है। जब इन प्रस्तावों की मजूरी दे दी जाएगी, तब निजी और साज-सामान के उपलब्ध होने पर उन्हें स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

**राज्यों में लोहे, चादरों का नियतन**

333. **श्री भागीरथ भवर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राज्य में लोहे चादरों के कोटे का नियतन करते समय कृषि और औद्योगिक निर्माण कार्यों ध्यान में रखा जाता है,

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं

(ग) प्रत्येक राज्य की इन वस्तुओं का नियतन करने के मापदंड क्या है,

(घ) प्रत्येक राज्य को इन वस्तुओं का कोटा कहां से उपलब्ध कराया जाता है और इनकी जनता में वितरित करने की प्रणाली क्या है, और

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों में इन वस्तुओं के मूल्य में कोई अन्तर है और यदि हां तो उसकी प्रतिशतता क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :** (क) से (घ) वर्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के किसी वर्ग अथवा किसी राज्य को लोहे और इस्पात के कोटे नहीं दिये जाते हैं। आशा है कि सुगम उपलब्धि की वर्तमान स्थिति में प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादकों से अपनी सम्पूर्ण आवश्यकता का लोहा और इस्पात मिल जाता है।

(ङ) संयुक्त मंयत्र समिति द्वारा कच्चे लोहे तथा इस्पात के लिए निर्धारित मूल्य सारे देश में एकसमान हैं। राज्यों के बिक्री-करों में अन्तर को छोड़कर मूल्यों में कोई अन्तर नहीं है।